अति–आवश्यक / अति–महत्वपूर्ण

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ4( ) / परावि / सीसी / एमआईएस / 2015 / 135 जयपुर दिनांक 14.07.2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद – समस्त

विषयः– एकीकृत राज ई–पंचायत वेब एप्लीकेशन के प्रशिक्षण बाबत।

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा 2016–17 के कार्यान्वयन की दिशा में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की सहायता से एकीकृत राज ई–पंचायत वेब एप्लीकशन का निर्माण करवाया गया हैं। जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं पारदर्शी करने के साथ–साथ ग्रा.वि.एवं पंचायती राज विभाग की आंतरिक प्रक्रिया को सशक्त एवं सुव्यवस्थित करना हैं। इसी दिशा में उक्त वेब एप्लीकेशन को राज्य की समस्त जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं पंचायत समितियों की चयनित एक–एक ग्राम पंचायतों में लागू किया गया हैं।

वेब एप्लीकेशन के प्रभावी संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर के (जिला स्तरीय टास्क फोर्स) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर उन्हें मास्टर ट्रेनर बनाया जावेगा। मास्टर ट्रेनर के द्वारा अपने जिलें समस्त पंचायत समितियों एवं चयनित एक–एक ग्राम पंचायत से प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाकर, उन्हें उक्त वेब एप्लीकेशन का प्रशिक्षण दिया जावेगा तथा साप्ताहिक मॉनिटरिंग प्रगति रिपोर्ट पंचायती राज मुख्यालय को प्रेषित की जानी होगी।

उक्त वेब एप्लीकेशन हेतु **दिनांक 18.07.2017 से 26.07.2017** तक **प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे** तक **इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर** में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में कम्प्यूटर पर हैण्ड्स–ऑन–प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जावेगा। श्रीमान से निवेदन हैं कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण स्थल पर आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश प्रदान करावें।

प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार सभी प्रतिभागियों की उपस्थिति अनिवार्य हैं, उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

संलग्नः– प्रशिक्षण कार्यक्रम

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन. सचिव (प्रशा.2)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामिण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जे.एल. एन. मार्ग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, उत्तर पश्चित भवन, प्रथम तल, सचिवालय,जयपर।
6. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण, चौपाल विश्रान्ति गृह, स्टेशन रोड, जयपुर।
7. जिला कलक्टर–समस्त।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त एवं सं.शा. सचिव (प्रशा.2), पंचायती राज विभाग, जयपर।
9. समस्त अधिकारी गण, पंचायती राज विभाग, जयपुर से निवेदन हैं कि **प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार आपकी शाखा से प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस में कम से कम एक से दो प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित करें।**
10. प्रभारी अधिकारी (एकीकृत राज ई–पंचायत) / सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,सूचना प्रौद्योगिकी भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर से अनुरोध हैं कि **प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिलवाये जाने की व्यवस्था फरमावें।**
11. प्रशिक्षण समन्वयक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से निवेदन हैं कि **जिलों से आने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रातः ठहरने, चाय–नाश्त इत्यादि की समुचित व्यवस्था करावें तथा प्रशिक्षण के दौरान चाय–नाश्ते, भोजन की भी समुचित व्यवस्था करावें। इस प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय पंचायती राज सशक्तिकरण अभियान वहन किया जावें।**
12. **स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर**, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, पंचायती राज विभाग, जयपुर अपनी टीम के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होंगें।
13. रक्षित पत्रावली।

एनालिस्ट कम प्रोग्रामर
(उप निदेशक)

परिशिष्ठ–अ

जिला स्तरीय टास्क फोर्स

क्र. स.	स्तर	प्रस्तावित प्रशिक्षणार्थी	प्रस्तावित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	जिला परिषद	1. अधीशाषी अभियन्ता 2. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी 3. पंचायत प्रसार अधिकारी 4. सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर (डीपीएमयू सैल) 5. एमआईएस मैनेजर, महात्मा गांधी नरेगा योजना	33 X 5 = **165**
		कुल संख्या	**165**

संभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम

बैच	प्रशिक्षण दिनांक	संभागवार कार्यालय	जि.प. (5)	मुख्यालय (4)	एसपीएमयू सैल (5)	कुल
प्रथम	**18/07/2017** (मंगलवार)	**अजमेर संभाग** अजमेर भीलवाड़ा नागौर टोंक	(20) 5 5 5 5	(9) प्रत्येक शाखा से मनोनीत)	(5) समस्त कार्मिक	34
द्वितीय	**19/07/2017** (बुद्धवार)	**भरतपुर संभाग** भरतपुर धौलपुर करौली सवाईमाधोपुर	(20) 5 5 5 5	(9) प्रत्येक शाखा से मनोनीत)	(5) समस्त कार्मिक	34
तृतीय	**20/07/2017** (बृहस्पतिवार)	**बीकानेर संभाग** बीकानेर चूरू गंगानगर हनुमानगढ़	(20) 5 5 5 5	(9) प्रत्येक शाखा से मनोनीत)	(5) समस्त कार्मिक	34
चतुर्थ	**21/07/2017** (शुक्रवार)	**जयपुर संभाग** जयपुर अलवर दौसा झुंझुनू सीकर	(25) 5 5 5 5 5	(9) प्रत्येक शाखा से मनोनीत)	(5) समस्त कार्मिक	39
पंचम	**24/07/2017** (मंगलवार)	**जोधपुर संभाग** जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर सिरोही जालौर पाली	(30) 5 5 5 5 5 5	(10) प्रत्येक शाखा से मनोनीत)	(5) समस्त कार्मिक	45
षष्ठम	**25/07/2017** (सोमवार)	**कोटा संभाग** कोटा बारां बून्दी झालावाड़	(20) 5 5 5 5	(9) प्रत्येक शाखा से मनोनीत)	(5) समस्त कार्मिक	34
सप्तम	**26/07/2017** (बुद्धवार)	**उदयपुर संभाग** उदयपुर राजसमन्द बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर	(30) 5 5 5 5 5 5	(10) प्रत्येक शाखा से मनोनीत)	(5) समस्त कार्मिक	45
		कुल संख्या	**165**	**65**	**5**	**235**
		प्रशिक्षक सू. प्रौ. एवं संचार विभाग	**0**	**0**	**0**	**6**
		कुल योग	**165**	**65**	**5**	**241**

परिशिष्ठ–स

शाखावार अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षणार्थियों के मनोनयन विवरण

क्र. सं.	नाम शाखा	प्रशिणार्थियों की संख्या
1.	प्रशासन शाखा – द्वितीय–5 (गोपनीय शाखा–1)	6
2.	प्रशासन शाखा – प्रथम–5 (विधानसभा–1, आरटीआई–1, प्रकाशन–1, स्वागत–1, मैलिंग–1, स्टोर–1 एवं रोकड़ शाखा–2)	13
3.	विधि शाखा – 4 (उप विध परामर्शी शाखा–2)	6
4.	जांच शाखा – 4	4
5.	प्रशिक्षण शाखा– {प्रशिक्षण–2, शिक्षा–2, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रा–2, (कम्प्यूटर शाखा के समस्त अधिकारी/कर्मचारी)}	11
6.	आयोजना शाखा – 3	3
7.	लेखा शाखा – स.लेखाधिकारी–I (2), स.लेखाधिकारी–II (2) एवं कनिष्ठ लेखाकार (6)	10
8.	प्रोजेक्ट शाखा – 4	4
9.	मॉनिटरिंग शाखा – 3	3
10.	स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट सैल (एसपीएमयू)	5
	कुल	65

शाखा प्रभारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रशिक्षणार्थियों का मनोनयन कर **आज ही अवगत करवावें**, साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस में आपकी शाखा से मनोनीत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण में भाग लिये जाने हेतु निर्देशित करें।